133.

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी - 6236/2018/हरदा/स्टाँपआदि पुनरीक्षण क. ..../2018

विजय सिंह, आ. रूप सिंह,

निवासी- टिमरनी,

तहसील टिमरनी, जिला हरदा, ---- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती पुष्पादेवी राजपूत, पत्नि राजपूत

निवासी - टिमरनी,

तहसील टिमरनी, जिला - हरदा,

2. म.प्र. शासन द्वारा उपपंजीयक

टिमरनी, जिला - हरदा,

3. कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प हरदा

जिला - हरदा ---- उत्तरदातागण

1-11-18

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक अधिनियम

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण क. 448/2017-18 (विजय सिंह विरुद्ध श्रीमती पुष्पादेवी व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.06.2018 से दुखी एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर सदर पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा श्रीमती पुष्पादेवी (उत्तरदाता क. 1) से मौजा टिमरनी जिला-हरदा में परिवर्तित भूमि खसरा नं. 82/33 82/34, 82/36 में से 780 वर्गफिट पर बना दो मंजिला भवन दिनांक 19/12/14 को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से तय किया था ।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा क्रय किये गये भवन का विक्रय पत्र

निरंतर ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 6236/2018/हरदा/स्टांप अधि.

विजय सिंह विरूद्ध श्रीमती पुष्पादेवी राजपूत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 21–6–2019 को कायमी के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार गया। 2/ आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 448/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि प्रश्नाधीन भवन (व्यवसायिक) को आवासीय के रूप में पंजीयन कराया गया था। जबकि उप पंजीयक की ओर से प्रस्तुत स्थल निरीक्षण मे तीन मंजिला व्यवसायिक भवन होना लेख किया गया। इसी आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक ने आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 02–6–2016 से प्रश्नधीन भवन को व्यवसायिक मानकर बाजार मूल्य निर्धारित कर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जमा करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने इस न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 24/6/19	